नम्बर मुकदमा 514/2017
चनणसिंह बनाम सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :-यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान:-प्रार्थना पत्र संख्या 527/2017

चनणसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जटसिख सा. दौलतपुरा तहसील व जिला गंगानगर ......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्री गंगानगर ....अप्रार्थी

-::उपस्थित::-

1. पैरोकार राज

-:निर्णय:-

दिनांक 08-01-2018

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व आधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कि गयी है।

प्रार्थाना पत्र अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि:-

प्रार्थी के नाम चक 1 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक़ दौलतपुरा तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता स.61 के मु.न.13,14,30,31,32,33,52 में कुल 8.614 है.कृषि भूमि में प्रार्थी के भाईयों {चंदनसिंह, मंगलसिंह, काकूसिंह,दलवीरसिं पि. हरीसिंह } के नाम से ब.हिस्सा बराबर जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है जिसमें प्रार्थी का $1/_4$ हिस्सा है।

प्रार्थी का कृषि भूमि के रिकार्ड मे "चंदनसिंह" नाम दर्ज है जबकि मेरे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता व मेरे पुत्रो के शैक्षणिक दस्तावेजात में "चनणसिंह" नाम दर्ज है जिसके कारण कृषि भूमि के रिकार्ड से मेरे आधार कार्ड, बैंक खाता आदि का मिलान नहीं होता है तथा कृषि ऋ्ण लेने, मुआवजा खाद बीज आदि की सुविधा लेने में भारी परेशानियां आ रही है जबकि चंदनसिंह एंव चनणसिंह मेरा ही नाम है तथा मैं एक ही व्यक्ति के नाम हू।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में राज पैरोकार उपस्थित आया प्रार्थी द्वारा लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया की चक 1 क्यू का खाता स.61 में मु.न.13,14,30,31,32,33,52 में कुल 8.614 है. कृषि भूमि में प्रार्थी के नाम $1/_4$ हिस्सा है.कृषि भूमि के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम चंदनसिंह दर्ज है जबकि मतदाता पहचान पत्र,आधार कार्ड,बैक खाता व प्रार्थी के शैक्षणिक दस्तावेजो में चनणसिंह दर्ज है

राज पैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

चुँकि प्रकरण में प्रकरण में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थाना पत्र पर बहस सुनी गई बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों के दोहराते हुए प्रार्थना पत्र का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया ।

हमने प्रार्थी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन किया।

अतः प्रार्थी चंदनसिंह पि.हरीसिंह के नाम से दर्ज 8.614 है. कृषि भूमि में दर्ज $^1/_4$ हिस्सा को चनणसिंह पि.हरीसिंह दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं।

-::आदेश::-

उपरोक्त विवेचना के आधार इस न्यायालय का यह सुविचारित मत हैं कि चक 1 क्यू पटवार हल्का संगपुरा तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता स. 61 मु.न.13,14,30,31,32, 33,52 में कुल-33.312 है. नहरी/बारानी मय खाला भूमि में से 8.614 है. कृषि भूमि में चंदनसिंह पि.हरीसिंह के नाम से दर्ज $^1/_4$ हिस्सा भूमि को **चनण सिह पुत्र हरीसिंह** दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं।

तहसीलदार (राजस्व)श्रीगंगानगर को निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिंनाक 08.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *

(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर